न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
923 / 2024	08.11.2024	19.12.2024

उनवान

1. रेखा पत्नी हरनारायण माली आयु वयस्क निवासी नेहरू रोड भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. सुनिता पत्नी गोपाल जी बल्दवा, निवासी बल्दवा भवन लोटस स्क्वायर के सामने प्रताप टाकिज रोड़ भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. ओमप्रकाश पुत्र माधुलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
3. कंचन देवी पत्नी गणपतलाल जी ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
4. गणपतलाल पुत्र बद्रीलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोविन्द पुत्र माधुलाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मण पुत्र रामेश्वर ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
7. नन्दराम पुत्र धुकल जाट उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
8. नानालाल पुत्र धुकल जाट उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
9. राजेन्द्र पुत्र जमनालाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
10. सीमा पुत्री गोपाल ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी चावण्डिया तह0 सवाईपुर जिला भीलवाड़ा
11. नारायण पुत्र भैरूलाल जाट उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. महादेव पुत्र भैरूलाल जाट उम्र वयस्क निवासी अगरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. नन्दलाल पुत्र सुखदेव जाट उम्र वयस्क निवासी मेन बाजार रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. शंकरलाल पुत्र जमना तेली उम्र वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. भंवरलाल पुत्र जमनालाल जाट उम्र वयस्क निवासी 272 बड़ला बन का खेड़ा मार्ग तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

16.कमलेश पिता बंशीलाल सोमाणी उम्र वयस्क, निवासी राठी बर्तन के पास भदादा मोहल्ला भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17.गोपाल पिता बंशीलाल सोमाणी उम्र वयस्क, निवासी राठी बर्तन के पास भदादा मोहल्ला भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18.जगदीश पिता बंशीलाल सोमाणी उम्र वयस्क, निवासी राठी बर्तन के पास भदादा मोहल्ला भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19.प्रकाश पिता बंशीलाल सोमाणी उम्र वयस्क, निवासी राठी बर्तन के पास भदादा मोहल्ला भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20.प्रकाश वीर गौतम पिता श्यामसुन्दर शर्मा उम्र वयसक निवासी सुर्यमहल के सामने गली में शास्त्री नगर भीलवाड़ा
21.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सवाईपुर /नयाब तहसीलदार बड़लियास भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री राकेश जैन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चावण्डिया प0ह0 बन का खेड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075—2078 के खाता संख्या 471 की अभिलिखित आराजियात 1047/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2269 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 20 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा चावण्डिया प0ह0 बन का खेड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सवाईपुर तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 471 की अभिलिखित आराजियात 1047/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2269 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा